न्यायालय : सहायक कलॅक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी : पुखराज कांसोटिया (RAS)
राजस्व वाद संख्या : 61/2024

वादिनी :–
श्रीमती मनु धर्मपत्नी स्व. जेफू खां, जाति मुसलमान, निवासी – जे. के. कोलोनी, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर।

– बनाम –

प्रतिवादीगण :–
01. तनवीर (पूर्व नाम ईशाक खां) पुत्र स्व. जेफू खां, जाति मुसलमान, निवासी वाईट हाउस, सुभाष नगर, जोधपुर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर।

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
1– वादिनी की ओर से : श्री ईश्वरसिह चम्पावत अधिवक्ता।
2– प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से : श्री भागीस्थ विश्नोई अधिवक्ता।

–: **निर्णय** :– दिनांक : 10/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी ने यह दावा बाबत् धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि वादिनी के पति जेफू खां की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 426/1 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.8294 हैक्टेयर ग्राम बुझावड़, तहसील झंवर में स्थित है। वादिनी जेफू खां की पत्नी है तथा जेफू खां ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि जरिये हिबा वादिनी को दे दी थी। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी सम्पत्ति हिब्बा के जरिये अपने किसी भी वारिस को दे सकता है। हिब्बा सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है एवं मौखिक भी हो सकता है। जेफू खां ने हिब्बा करने के दरम्यान ही उक्त भूमि का कब्जा भी वादिनी को सुपुर्द कर दिया था एवं कब्जा वादिनी के पक्ष में ट्रांसफर हो गया था। हिब्बा के वक्त वादिनी ने अपने पति को सहमति दे दी थी। उक्त भूमि के चारों ओर वादिनी की बाउण्ड्री वाल बनी हुई है, अन्दर 7–8 कमरे बने हुए हैं। वादिनी के किसान अन्दर खेती करते हैं। बिजली का बिल भी हर माह वादिनी ही अदा करती है। वादिनी के गाय, भैंस, पशु वगैरा भी उक्त भूमि में बंधे हुए हैं। उक्त भूमि के आगे लोहे का गेट भी लगा हुआ है जिस पर वादिनी का नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार जेफू खां के हिब्बा के अनुसार वादिनी उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार, अधिकारी है।

वादिनी ने वाद–पत्र में आगे कथन किया है कि प्रतिवादी तनवीर वादिनी का जायन्दा पुत्र है जो वादिनी से अलग रहता है। जेफू खां के देहान्त के पश्चात् प्रतिवादी उक्त भूमि का म्यूटेशन अपने नाम से करवाने पर आमादा है, इस आशय की धमकी दिनांक 30–5–2024 को प्रतिवादी ने दी तो वादिनी ने तहसीलदार व पटवारी हल्का को हिब्बा से अवगत करवाया लेकिन प्रतिवादी नहीं मान रहा है तथा अपने नाम पर म्यूटेशन करवाने पर आमादा है। वादिनी ने तहसीलदार व पटवारी हल्का से हिब्बा के अनुसार बात की तो उन्होंने बताया कि न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर हिब्बा के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानी पड़ेगी अन्यथा म्यूटेशन में प्रतिवादी का नाम भी दर्ज किया जायेगा।

वादिनी ने अपने वाद–पत्र में यह भी कथन किया है कि दिनांक 5–6–2024 को प्रतिवादी ने वादिनी को फिर धमकी दी कि वह उक्त भूमि का म्यूटेशन अपने नाम करवा लेगा। प्रतिवादी मौके पर वादिनी के कब्जे में भी दखलन्दाजी करने पर भी आमादा है। ऐसी स्थिति में वादिनी की प्रार्थना है कि वादिनी को उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा वादिनी का नाम जेफू खां जी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया जाये तथा साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की पारित की जाये कि प्रतिवादी उक्त भूमि में वादिनी के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी तरह की दखलन्दाजी, रूकावट या बाधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा न करे, न किसी अन्य से करवाये।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा इस आशय का पेश किया है कि यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादिनी के पति स्व. जेफू खां की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

413 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 426/1 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.8294 हैक्टेयर ग्राम बुझावड़, तहसील झंवर में स्थित है। यह भी सही है कि जेफू खां जी ने अपनी धर्मपत्नी वादिनी श्रीमती मनु को अपने जीवनकाल में उक्त भूमि जरिये हिब्बा दे दी थी। उक्त सम्पत्ति जेफू खां ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मनु को मौखिक हिब्बा कर दी थी तथा बाद में दिनांक 16–10–2020 को इस मौखिक हिब्बा की लिखित लिख कर तस्दीक भी कर दी थी, यह बात सही है और इस कारण वादिनी उक्त भूमि की खातेदार है। यह भी सही है कि जेफू खां ने उक्त भूमि का हिब्बा करने के बाद उक्त भूमि का कब्जा वादिनी को सुपुर्द कर दिया था। यह भी सही है कि उक्त भूमि पर 7–8 कमरे बने हुए हैं, बाउण्ड्री वाल बनी हुई है तथा वादिनी ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग आज भी कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी का जायन्दा पुत्र है तथा वादिनी से अलग रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादिनी के पक्ष में हिब्बा की जानकारी होने पर वादिनी को दिनांक 30–5–2024 को कोई धमकी म्यूटेशन भरने की नहीं दी थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अगर वादिनी हिब्बा के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई उजर एतराज नहीं है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं कर रहा है। इस कारण वादिनी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में यह स्पष्ट कथन किया है कि वादिनी के पक्ष में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है तो उसे कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं हुआ।

दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

01.आया वादिनी विवादित अपने पक्ष में भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करवाने की अधिकारी है ?(जिम्मे वादीनी)

02.अनुतोष ?

साक्ष्य में वादिनी श्रीमती मनु ने अपना शपथ पत्र बतौर पी.डब्ल्यू.–1 पेश किया। प्रतिवादीगण 1 को उक्त गवाह से जिरह का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की। बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विवाद्यकानुसार इस न्यायालय का निर्णय निम्नप्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 :– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादिनी पर है। वादिनी पी. डब्ल्यू. 1 श्रीमती मनु ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके पति जेफू खां की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 426/1 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.8294 हैक्टेयर ग्राम बुझावड़, तहसील झंवर में स्थित है। वह जेफू खां की पत्नी है तथा जेफू खां ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि जरिये हिबा उसे अर्थात् वादिनी को दे दी थी। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी सम्पत्ति हिब्बा के जरिये अपने किसी भी वारिस को दे सकता है। हिब्बा सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है एवं मौखिक भी हो सकता है। जेफू खां ने हिब्बा करने के दरम्यान ही उक्त भूमि का कब्जा भी उसे सुपुर्द कर दिया था एवं कब्जा उसके पक्ष में ट्रांसफर हो गया था। हिब्बा के वक्त उसने अपने पति को सहमति दे दी थी। उक्त भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनी हुई है, अन्दर 7–8 कमरे बने हुए हैं। उसके किसान अन्दर खेती करते हैं। बिजली का बिल भी हर माह वह अदा करती है। उसके गाय, भैंस, पशु वगैरा भी उक्त भूमि में बंधे हुए हैं। उक्त भूमि के आगे लोहे का गेट भी लगा हुआ है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार जेफू खां के हिब्बा के अनुसार वह उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार, अधिकारी है। साक्ष्य के शपथ पत्र में वादिनी श्रीमती मनु ने यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी तनवीर उसका जायन्दा पुत्र है जो उससे अलग रहता है। जेफू खां के देहान्त के पश्चात् प्रतिवादी उक्त भूमि का म्यूटेशन अपने नाम से करवाने पर आमादा है, इस आशय की धमकी दिनांक 30–5–2024 को प्रतिवादी ने दी तो उसने तहसीलदार व पटवारी हल्का को हिब्बा से अवगत करवाया लेकिन प्रतिवादी नहीं मान रहा है तथा अपने नाम पर म्यूटेशन करवाने पर आमादा है। तहसीलदार व पटवारी ने बताया कि न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर हिब्बा के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानी पड़ेगी अन्यथा म्यूटेशन में प्रतिवादी का नाम भी दर्ज किया जायेगा। साक्ष्य के शपथ पत्र में वादिनी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 5–6–2024 को प्रतिवादी ने वादिनी को फिर धमकी दी कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वह उक्त भूमि का म्यूटेशन अपने नाम करवा लेगा। प्रतिवादी मौके पर वादिनी के कब्जे में भी दखलन्दाजी करने पर भी आमादा है। अतः वादिनी का वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री करने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 तनवीर, वादिनी व जेफू खां का पुत्र है जिसने अपने जवाबदावे में वादिनी को धमकी देने के तथ्यों से इन्कार किया है लेकिन वादिनी द्वारा वर्णित तमाम तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा वादिनी के पक्ष में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने में कोई एतराज नहीं होना बताया है। दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने भी अभिलेख के आधार पर विवादित भूमि अर्थात् खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 426/1 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.8294 हैक्टेयर ग्राम बुझावड, तहसील झंवर, जिला जोधपुर, स्व. जेफू खां की खातेदारी का होना स्वीकार किया है। पत्रावली पर वादिनी की ओर से विवादित भूमि के सम्बन्ध में संवत् 2071–2074 की जमाबन्दी पेश की गई है। उक्त दस्तावेज को प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादिनी ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में उक्त दस्तावेज को प्रदश–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। उक्त जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 426/1 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.8294 हैक्टेयर ग्राम बुझावड, तहसील झंवर, श्री जेपू खां पुत्र पने खां, जाति रिन्धी, निवासी गंगाणा की खातेदारी की है। इन तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने भी स्वीकार किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि Admission is best evidence. जिन तथ्यों को पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया हो, उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों की स्वीकृति के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त वर्णित विवादित भूमि वादिनी के पति व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जेफू खां की खातेदारी की है। वादिनी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श–2 के रूप में हिब्बानामा को भी प्रदर्शित करवाया है। इस दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिनी के पति जेफू खां ने अपने दामाद यासीन खां, अपनी पुत्रियों सोफिया, रतन व अपने पुत्र इन्साफ व अन्य की मौजूदगी में अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित तमाम कृषि भूमि अपनी पत्नी श्रीमती मनु को दिनांक 1–8–2020 को मौखिक रूप से बोल कर खुले आम एलानिया हिब्बा कर दी थी और बरवक्त हिब्बा उसने उक्त वर्णित भूमि का वास्तविक कब्जा भी अपनी पत्नी श्रीमती मनु को सुपुर्द कर दिया था तथा श्रीमती मनु ने उक्त हिब्बा को स्वीकार व ग्रहण किया था। इस दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हिब्बाकर्त्ता जेफू खां ने भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, ऐसे किसी सम्भावित विवाद के निराकरण के लिहाज से उसने उक्त वर्णित हिब्बानामा लिख दिया जो वस्तुतः उसके द्वारा दिनांक 1–8–2020 को किये गये मौखिक हिब्बानामा की याददाश्ती है और इस दस्तावेज से उक्त वर्णित मौखिक हिब्बा की तस्दीक होती है। उक्त दस्तावेज विधिवत् रूप से नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है जो दिनांक 16–10–2020 को निष्पादित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित विवादित भूमि जेफू खां की खातेदारी की थी जिसे किसी भी प्रकार से अन्तरित करने या हिब्बा आदि करने का उसे पूर्ण अधिकार था। यह सुस्थापित विधि है कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मौखिक रूप से हिब्बा किया जा सकता है जिसे विधि में कानून–सम्मत माना गया है। हस्तगत प्रकरण में जेफू खां द्वारा विवादित भूमि अपनी पत्नी श्रीमती मनु अर्थात् वादिनी को हिब्बा किया गया है, जो किसी भी तरह से अस्वाभाविक या अप्राकृतिक भी नहीं है और ऐसे मौखिक हिब्बा की तस्दीक प्रदर्श–2 हिब्बानामा से होती है जिसमें हिब्बाकर्त्ता जेफू खां ने उसके द्वारा किये गये मौखिक हिब्बा की तस्दीक की है ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। इसके अलावा भी हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 तनवीर जो कि वादिनी और जेफू खां का पुत्र है, उसने भी उक्त हिब्बा को स्वीकार किया है तथा उक्त हिब्बानामा प्रदर्श–2 को उसके अधिवक्ता न्यायालय में स्वीकार भी किया है। वादिनी ने हिब्बा होने के समय से ही विवादित भूमि पर स्वयं का वास्तविक कब्जा होना बताया है जो उसे उसके पति ने हिब्बा के समय दिया था तथा इन तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया है। अतः मेरे विनम्र मत में वादिनी ने अपने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को समुचित साक्ष्य से प्रमाणित किया है। चूंकि यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित भूमि जेफू खां की खातेदारी की थी, इसलिये यह भी मानना होगा कि उसे इस भूमि का हिब्बा करने का अधिकार था। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित हुआ है कि जेफू खां ने उक्त विवादित भूमि अपनी पत्नी वादिनी को हिब्बा की थी। ऐसी स्थिति में वादिनी के पक्ष में विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न है, प्रथम तो उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी वादिनी के अधिकारों की रक्षा के लिये वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 की दया पर नहीं छोडा जा सकता है। अतः वादिनी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना भी न्यायसंगत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 1 का निर्णय वादिनी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामतः वादिनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 सव्यय डिक्री किया जाता है। वादिनी को ग्राम बुझावड़, पटवार हल्का डोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 426/1 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.8294 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का नामान्तरणकरण वादिनी के पक्ष में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त वर्णित भूमि पर वादिनी के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार दखलन्दाजी या बाधा उत्पन्न नही करे, न किसी अन्य से करवाये आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार झंवर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कांसोटिया)**RAS**
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
लूणी, जिला जोधपुर।

उक्त निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया)**RAS**
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
लूणी, जिला जोधपुर।

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 61 / 2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती मनु धर्मपत्नी स्व0 श्री जेफु खा जाति मुसलमान निवासी जे के कोलॉनी शोभावतो की ढाणी पाल रोड जोधपुर।		.01.तनवीर पुत्र स्व0 श्री जेफु खॉ जाति मुसलमान निवासी वाईट हाउस सुभाष नगर जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झॅवरं

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 61 / 2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा बाबत ग्राम बुझावड तहसील झंवर के खसरा नम्बर 413 रकबा 3.3670 हैक्टर खसरा नम्बर 414 रकबा 7.2115 हैक्टर व खसरा नम्बर 426 / 1 रकबा 0.2509 हैक्टर कुल रकबा 10.8294 हैक्टर मे वादीनी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड मे उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादिनी के पक्ष मे दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर वादीनी के कब्जे व उपयोग उपयोग मे बाधा एव दखलअन्दाजी नही करे।

नीज...मुबलिक................................बाबत..................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक...को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्वायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	–	–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी